



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 वैशाख 1945 (श10)

(सं0 पटना 342) पटना, शुक्रवार, 21 अप्रील 2023

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

21 अप्रील 2023

एस०ओ० 126, दिनांक 21 अप्रील 2023—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम-12, 2017) की धारा-96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 173 दिनांक 21 सितम्बर, 2017, बिहार राजपत्र, असाधारण अंक में संख्या 877 दिनांक 21 सितम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित और अधिसूचना संख्या एस० ओ० 157 दिनांक 18 अक्टूबर, 2021, बिहार राजपत्र, असाधारण अंक में संख्या 870 दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 द्वारा अंतिम बार संशोधित, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या (ii) के स्थान पर "(ii) श्री पंकज कुमार सिन्हा, राज्य कर अपर आयुक्त (अपील), केन्द्रीय प्रमंडल, पटना" शब्दों को रखा जाएगा।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जी०एस०टी०/विविध-21/2017 (खंड-9)1302)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

21 अप्रील 2023

एस०ओ० 126, दिनांक 21 अप्रील 2023 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जी०एस०टी०/विविध-21/2017 (खंड-9) 1302)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 21st April 2023

S.O. 126 dated 21st April 2023— In exercise of the powers conferred by section 96 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12 of 2017), the Governor of Bihar, hereby makes the following further amendment in the notification S.O. No. 173, dated the 21st September, 2017 of the Commercial Taxes Department, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 877, dated the 21st September, 2017, and last amended vide notification S.O. No. 157, dated the 18th October, 2021, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 870, dated the 18th October, 2021, namely:-

In the said notification, for serial no. (ii), the words "(ii) Shri Pankaj Kumar Sinha, Additional Commissioner of State Tax (Appeal), Central Division, Patna" shall be substituted.

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-21 /2017 (Part-9) 1302)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 342-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>